DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JUGALSINH LOKHANDWALA (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DINESHCHANDRA JEMALBHAI ANAVADIYA (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to declare ostomy patients as specially-abled i.e. "Divyang"

श्री पबित्र मार्गेरिटा (असम) : महोदय, मेरी आपसे ऑस्टोमी मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में लाने की विनती है। जिन मरीजों के मल-मूत्र मार्ग में कैंसर, कोलाइटिस अल्सर हो जाता है, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए एक शल्य चिकित्सा द्वारा उनका रेक्टम या ब्लैडर निकाल दिया जाता है और पेट पर एक संरचना बनाकर उस पर बैग चिपका दिया जाता है, जिसमें लगातार रिसाव होता रहता है। यह बैग आजीवन बदलते रहना पड़ता है, जिसके कारण वे दर्दनाक जीवन जीते हैं। यह बीमारी भयावह है, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक सर्वे के अनुसार भारत में ऐसे 4,00,000 मरीज हैं। महाराष्ट्र में ऐसे 1,00,000 लोग हैं और असम में हज़ारों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। ऐसे मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में रखने से इनकी जिंदगी में सुधार आएगा। उनको लगने वाला बैग और अन्य सामग्री, जो विदेश से मंगाई जाती है, उसको भारत में निर्मित करने का अवसर प्राप्त होगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी उनको लाभ मिलेगा। महोदय, विकसित देशों में इन मरीजों को दिव्यांग का दर्जा दिया गया है। भारत के भी अनेक बड़े-बड़े डॉक्टर्स और अस्पतालों ने माना है कि इस प्रकार के जरूरतमंद मरीजों को सरकार द्वारा दिव्यांग का दर्जा देकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। महोदय, मैं देश भर के ऑस्टोमी मरीजों की इस समस्या को देखते हुए उनकी परेशानी का सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SHAMBHU SHARAN PATEL (Bihar): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to start the operations on India-Bangladesh Maitri Bridge on Feni River

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार बंगलादेश सरकार के साथ हस्तक्षेप कर फेनी नदी पर बने भारत-बंगलादेश मैत्री ब्रिज का ऑपरेशन जल्द शुरू कराने का प्रयास करे।

महोदय, 9 मार्च, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना जी ने वर्चुअल रूप से भारत-बंगलादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया था, मगर बंगलादेश की तरफ से अभी तक लैंड कस्टम स्टेशन नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से इस अति महत्व की परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय, ऐसा बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस विषय में विदेश मंत्रालय के साथ संवाद किया है, मगर मैत्री ब्रिज का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी तरफ, यानी भारत की तरफ से सारी जरूरी सुविधाएं बना ली गई हैं, मगर बंगलादेश की तरफ से लैंड कस्टम स्टेशन का कार्य अधूरा है। अत: आपसे आग्रह है कि भारत सरकार बंगलादेश सरकार से बात कर ऑपरेशन शुरू होने में व्याप्त कमियों को दूर करे, ताकि यात्रियों की आवाजाही कम से कम शुरू हो सके।